>

Title: Need to ensure free treatment of economically poor people in private hospitals in Delhi which have been allotted land on subsidized rates.

श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज): स्वास्थ्य पर 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद का खच मात्र 1.09 प्रतिशत था जबकि विकसित देशों में इलाज पर यह लगभग 11 प्रतिशत तक है । सर्वविदित है कि देश में महंगे निजी अस्पतालों से गरीबों के लिए इलाज कराना उनके वश की बात नहीं है और खस्ताहाल सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और महंगे निजी अस्पतालों से सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का ही होता है । इसी को ध्यान में रखकर दिल्ली के अस्पतालों को सस्ती दरों पर जमीन मुहैया करवाई गयी थी और शर्त यह थी कि निजी अस्पताल गरीबों का इलाज रियायती दरों पर करेंगे परंतु खबरों की माने तो दिल्ली के अस्पतालों में गरीबों के इलाज के लिए निर्धारित ज्यादातर बेड खाली होती हैं । वे गरीब मरीजों के इलाज में कोताही बरत रहे हैं और उनका तर्क होता है कि गरीब मरीज अस्पताल में इलाज के लिऐ आते ही नहीं । यह बात अस्पतालों के एक औचक निरीक्षण में सामने आई है ।

संसद की लोक लेखा समिति ने भी यही बात कही है कि रियायती दर जमीन लेने वाले अस्पताल शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं । सवाल है कि जिन नियमों के पालन की शर्त पर प्राइवेट अस्पतालों को सस्ती दरों पर जमीन दिया गया है यदि वे उन शर्तों और नियमों का पालन नहीं करते तो ऐसे में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि जमीन का आवंटन बरकरार रखा जाए या निरस्त कर दिया जाए ।

मेरी मांग है कि जिन प्राइवेट अस्पतालों को रियायती दरों पर जमीन सरकार द्वारा आवंटित की गइ है, गरीबों के इलाज में यदि वे कोताही बरतते हैं तो ऐसे निजी अस्पतालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए ।